न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

अपील सं0 26/2017 दिनांक : 21.06.2017

1. मिस्सो देवी पत्नी श्री मलूराम जाति मेघवाल निवासी 01 डी.बी.एन.बी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलांट

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

–रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 1129 दिनांक 22.05.2009 को निरस्त करने बाबत।

उपस्थितः– श्री सन्तलाल तिवाडी, अधिवक्ता, अपीलांट

निर्णय **दिनांक :– 20.12.2017**

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से हैः–

यह कि रोही मौजा थिराना तहसील नोहर ख.न. 252/1 की 30 बीघा 17 बिस्वा, ख.न. 635 की 12 बीघा 3 बिस्वा, ख.न. 653 की 10 बिस्वा कुल 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्योभगवानसिंह, छोटुसिंह पुत्रान रूपसिंह व मगनकंवर पत्नी रूपसिंह जाति राजपुत निवासी थिराना तहसील नोहर के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में उनके नाम दर्ज है जिसमें से श्योभगवानसिंह, छोटुसिंह व मगनकंवर ने दिनांक 03.04.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा ख.न. 252/1 में से 01 बीघा भूमि अपीलांट नंबर 1 व सुगना पत्नी नंदराम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर को विक्रय कर दी जिसका इंतकाल संख्या 1129 दिनांक 22.05.2009 तहसीलदार राजस्व नोहर ने खारिज फरमा दिया जिससे व्यथित होकर अपीलांट निम्नलिखित आधारों पर अपील प्रस्तुत है–

1. यह कि विक्रेता श्योभगवानसिंह, छोटुसिंह व मगनकंवर ने अपने कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में से रोही मौजा थिराना के ख.न. 252/1 की 30 बीघा 17 बिस्वा भूमि में से 01 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 03.04.2008 को अपीलांट व सुगना पत्नी नंदराम मेघवाल निवासी गोरखाना को विक्रय कर दी जिसका इंतकाल 1129 दिनांक 22.05.2009 तहसीलदार राजस्व नोहर ने खारिज फरमा दिया। आदेश दिनांक 22.05.2009 विधि व तथ्यों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है।
2. यह कि विक्रेतागण को अपनी कृषि भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार था। किसी प्रकार का विवाद नही था। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजस्व नोहर ने बिना किसी भी कारण के इंतकाल संख्या 1129 दिनांक 22.05.2009 बहक अपीलांट खारिज फरमा दिया जो कतई गलत है।
3. यह कि विक्रेतागण सभी ने अपनी कृषि भूमि रोही मौजा थिराना के ख.न. 252/1 तादादी 30 बीघा 17 बिस्वा में से 01 बीघा भूमि सही तौर से कानून अनुसार विक्रय की है। जिसका इंतकाल सही तौर से दर्ज किया गया है। इंतकाल खारिज करने का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्त योग्य है।
4. यह कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.05.2009 कतई मनमाना है तथा विधि प्रक्रिया अपनाये बिना पारित किया गया है।
5. यह कि पत्नी सुगना पत्नी नंदराम जाति मेघवाल निवासी गोरखाना तहसील नोहर दिनांक 24.05.2005 को फौत हो चुकी है।
6. यह कि अपीलांट को अपनी खरीदशुदा भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का पूरा अधिकार है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश सही नही होने के कारण अपास्त योग्य है।
7. यह कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2009 की जानकारी दिनांक 08.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा हुई इससे पहले अपीलांट

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

को आदेश की कोई जानकारी नही थी इसलिए आदेश की जानकारी से अपील अपीलांट अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन इंतकाल संख्या 1129 दिनांक 22.05.09 को अपास्त किया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट एवं रिकार्ड की तलबी की गई। रिकार्ड प्राप्त हुआ। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि रोही मौजा थिराना के खसरा नंबर 252/1, 635, 653 की कुल 43 बीघा 10 बिस्वा भूमि शिवभगवान आदि पिसरान रूपसिंह मगन कंवर पत्नी रूपसिंह की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि में से अपीलांट ने दिनांक 03.04.2008 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के खसरा नंबर 252/1 की भूमि में से 1 बीघा भूमि अपीलांट व सुगना देवी ने क्रय कर ली जिसका इंतकाल संख्या 1129 दिनांक 22.05.2009 तहसीलदार ने खारिज कर दिया। जबकि विक्रेतागण की उक्त भूमि खातेदारी थी जिसको बेचने के पूर्ण अधिकार उनके पास थे व अधिकारों के तहत ही भूमि का विक्रय किया गया है। इंतकाल भी सही दर्ज किया गया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से बैयनामें का इंतकाल निरस्त कर दिया। जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 08.06.2017 को पटवारी हल्का से हुई। जानकारी होते ही समय सीमा में अपील प्रस्तुत कर दी गई फिर भी मियाद अधिनियम दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि खारिज किया गया इंतकाल संख्या 1129 दिनांक 22.05.2009 के आदेश को निरस्त फरमावें।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि इंतकाल को सही खारिज किया गया है क्योंकि पटवारी हल्का ने इंतकाल मुताबिक बैयनामा दर्ज नही किया। अपीलांट ने विशेष खसरा नंबर की भूमि को क्रय किया था जबकि इंतकाल इंतकाल के मुताबिक समस्त खसरों में उसका हिस्सा दर्ज कर दिया।

हमने बहस सुनी। पत्रावली एवं प्रस्तुत रिकार्ड का अवलोकन किया। यह सही है कि अपीलांट व सुगना देवी ने खसरा नंबर 252/1 में 1 बीघा भूमि क्रय की थी। इसी अनुसार इंतकाल दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन पटवारी हल्का ने इंतकाल दर्ज करते समय बैयनामें के मुताबिक इंतकाल दर्ज ना कर समस्त खसरों में अपीलांट का हिस्सा कायम कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दिया जो विधि अनुकुल नही है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को इंतकाल खारिज ना कर उसको सही दर्ज करवाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त इंतकाल को खारिज कर दिया।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार आदेश तहसीलदार दिनांक 22.05.2009 जिसकी रूह से इंतकाल संख्या 1129 खारिज किया गया था को निरस्त किया जाता है पत्रावली तहसीलदार को इस निर्देश के साथ लौटाई जाती है कि मुताबिक बैयनामा के पुनः इंतकाल दर्ज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरसिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)